लू और आपदा वित्त: मान्यता से सुरक्षित जीवन तक

समाचार संदर्भ: 4 अगस्त 2026 का संसदीय उत्तर | जलवायु जोखिम • आपदा प्रबंधन | GS-III

लू में राहत और भविष्य का जोखिम घटाने के काम अलग हैं। आपदा वित्त में दोनों के लिए रास्ता चाहिए, पर अलग कोषों के नियम भी समझने होंगे।

खबरों में क्यों

4 अगस्त 2026 के लोकसभा उत्तर में गृह मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर लू और बिजली गिरने को 2026–31 की SDRF/NDRF संचालन-दिशानिर्देशों की अधिसूचित आपदाओं में शामिल किया गया है। 30 जून के दिशा-निर्देश इसकी पृष्ठभूमि हैं। यह अगस्त में संसद को दी गई जानकारी है, 27 अगस्त की नई अधिसूचना या केवल लंबित प्रस्ताव नहीं।

तीन संक्षेप, अलग काम

SDRF राज्य आपदा मोचन कोष और NDRF राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष हैं। SDMF राज्य आपदा शमन कोष है। मोचन कोष राहत तथा नियमानुसार पुनर्बहाली के लिए और शमन कोष भविष्य का जोखिम घटाने के लिए है। यहाँ NDRF से आशय कोष है, उसी संक्षेप वाले बचाव बल से नहीं।

मुख्य तथ्य

10 प्रतिशत की सही सीमा: दिशा-निर्देशों में केंद्र की सूची से बाहर राज्य-विशिष्ट स्थानीय आपदाओं पर वार्षिक SDRF आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत, निर्धारित शर्तों पर, इस्तेमाल करने का रास्ता है। लू के सूची में आने को समूचे संयुक्त कोष पर लगी सीमा हटना न कहें।

शमन की अलग व्यवस्था: तैयारी और क्षमता-विकास SDMF के अंतर्गत हैं। SDRF और SDMF अलग वैधानिक कोष हैं; इनके बीच रकम का पुनःआवंटन अनुमति-प्राप्त नहीं है। पात्रता का अर्थ बिना शर्त मनचाहा खर्च नहीं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

धन को जमीन पर सुरक्षा में कैसे बदलें?

स्थानीय जोखिम पहचान: खुले में काम करने वाले श्रमिक, बुजुर्ग और बच्चों की जरूरतें अलग हो सकती हैं। बस्ती, काम के घंटे और स्थानीय मौसम के अनुसार हीट एक्शन प्लान बने।

राहत और शमन में अंतर: तत्काल सहायता को पात्र मदों और मानकों से जोड़ें। छाया, जल-व्यवस्था और जोखिम-सूचना जैसी दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त शमन या सामान्य बजट का रास्ता जाँचें।

समन्वय और जवाबदेही: स्वास्थ्य, मौसम, श्रम, जल और नगरीय विभागों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों। व्यय की निगरानी के साथ देखें कि जोखिम वाले लोगों तक सहायता वास्तव में पहुँची या नहीं।

विश्लेषण और आगे की राह

अतिरिक्त केंद्रीय सहायता गंभीर प्रकृति की आपदा में निर्धारित आकलन और प्रक्रिया के अधीन मिलती है; सूची में नाम आने से हर राज्य को स्वतः असीमित राष्ट्रीय धन नहीं मिलता। लू को वित्तीय व्यवस्था में स्थान मिलना स्वास्थ्य-डेटा की गुणवत्ता का महत्व भी बढ़ाता है। दर्ज हीटस्ट्रोक मृत्यु और गर्मी से जुड़ी सभी अतिरिक्त मृत्यु समान माप नहीं हैं। स्थानीय क्षमता, प्रस्ताव तैयार करना और पारदर्शी खर्च सहायता की उपयोगिता तय करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिले और नगर की अलग जरूरतें देखते हुए तैयारी हो। अधिसूचित वित्तीय पात्रता को अलग से नया कानून बनना, हर नुकसान की पूरी भरपाई या हर परिवार को स्वतः मुआवजा मिलने की गारंटी न समझें।

अवधारणा में अंतर

मोचन और शमन पूरक हैं, पर परस्पर बदलने योग्य कोष नहीं। सूची में शामिल होना सहायता की पात्रता है; वास्तविक भुगतान पर मानक, आकलन और प्रक्रिया लागू रहते हैं।

मेंस दृष्टि

GS-III में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन। संघीय वित्त, स्थानीय योजना और कमजोर समूहों की सुरक्षा को साथ रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

लू को आपदा-वित्त व्यवस्था में शामिल करना पर्याप्त क्यों नहीं है? राहत, जोखिम-शमन और स्थानीय जवाबदेही के बीच आवश्यक संबंध स्पष्ट कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: लू को अधिसूचित आपदा-वित्त व्यवस्था में स्थान मिलने को राहत की पात्रता का विस्तार बताएँ, स्वतः असीमित धन या हर नुकसान की भरपाई की गारंटी नहीं। सुरक्षा के लिए स्थानीय क्रियान्वयन भी जरूरी है।

मुख्य भाग में: SDRF/NDRF के मोचन और SDMF के भविष्य का जोखिम घटाने वाले उद्देश्य अलग करें; इनके बीच रकम का पुनःआवंटन अनुमति-प्राप्त नहीं है। 10 प्रतिशत प्रावधान केंद्र की सूची से बाहर राज्य-विशिष्ट स्थानीय आपदाओं पर निर्धारित शर्तों से जुड़ा है। खुले में काम करने वाले श्रमिकों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्थानीय हीट एक्शन प्लान, स्वास्थ्य-मौसम-श्रम-जल विभागों का समन्वय तथा पात्र मदों के अनुसार खर्च जोड़ें। दर्ज हीटस्ट्रोक मृत्यु को गर्मी से जुड़ी सभी अतिरिक्त मृत्यु का समान माप न मानें।

निष्कर्ष में: जिला और नगर की जरूरतों के अनुसार प्रस्ताव, पारदर्शी व्यय और सहायता पहुँचने की निगरानी का सुझाव दें। वित्तीय पात्रता की सफलता खर्च की मात्रा के साथ जोखिम वाले लोगों की वास्तविक सुरक्षा से परखी जाए।

स्रोत

- मूल लोकसभा उत्तर: गृह मंत्रालय, प्रश्न 2541, 4 अगस्त 2026
- 30 जून के मूल संचालन-दिशानिर्देश: राजस्थान सरकार पर उपलब्ध प्रति
- 11 अगस्त का स्वतंत्र विश्लेषण: स्थानीय हीट एक्शन प्लान और वित्त

याद रखें: लू की पात्रता बढ़ी है, पर मोचन और शमन के अलग नियम बने हैं; कोषों का पूरा धन बिना शर्त उपलब्ध नहीं।